ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 14 July 2020

भोपाल जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

(महिला उद्यमिता के विशेष संदर्भ में)

मार्गदर्शक

डॉ. एस.के. ठाकुर
शा॰ महारानी लक्ष्मी बाई महाविद्यालय, भोपाल
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) भारत
dr.skt21@gmail.com

शोधार्थी

नीलम व्यास
vyasneelam28@gmail.com

सारांश :

आज देश के सामने बेरोजगारी की समस्या बड़े विशाल रूप में खड़ी है । इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई तरह के प्रयास हो रहे हैं । सरकार द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु कई प्रकार की योजनाएँ लागू की गई हैं जिससे न केवल पुरूष वर्ग अपितु महिला वर्ग भी लाभान्वित हो रहा है । इन योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता व कई अनेक तरह की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं । जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत व वितरित प्रकरणों में अन्तर पाया गया है । वर्ष 2013–14 में 100%, 2014–15 में 23.75%, 2015–16 में 70.33%, 2016–17 में 70.35% व 2017–18 में 18.06% लक्ष्य हासिल किया । उपरोक्त योजनाओं में महिला हितग्राहियों की संख्या अत्यंत कम रही ।

प्रस्तावना :

आज भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन हैं । भारत की युवा शक्ति भी विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है । परंतु देश में अभी भी गरीबी, असमानता, बेरोजगारी जैसी समस्याएँ आज भी एक चुनौती के रूप में विद्यमान हैं । इन समस्याओं से निपटने का एकमात्र तरीका है महिला उद्यमिता । अर्थात महिलाओं को भी अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के समान अवसर दिए जाये तो वे देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी, जिस प्रकार कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया व अमेरिका में रहने वाली महिलाएँ दे रही हैं । महिलाएँ तो आदिकाल से मानवीय पूंजी निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती आई हैं वे पहले घरेलू क्रियाओं के माध्यम से पूंजी निर्माण में सहयोग देती थी । विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की उद्यमिता में प्रवेशता होने से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से भूमिका बढ़ी है और उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से सिद्ध भी करके दिखाया है । सरकार ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं और कई योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता भी दी है ताकि वे इन योजनाओं का अधिक–से–अधिक लाभ उठा सकें व देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 14 July 2020

परिकल्पनाएँ :

1. भोपाल जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वययन सफलतापूर्वक हो रहा है ।
2. ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार महिलाओं को निरन्तर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध हो रहा है ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक नजर में :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है । यह दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया । इस योजना को 15 अगस्त 2008 को लागू किया गया । यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । राज्य स्तर पर यह योजना राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केन्द्र (DIC) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । इस योजना में युवाओं को औद्योगिक उद्यम की स्थापना के लिए 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के कार्यों के लिए 10 लाख रूपये तक की राशि का प्रावधान है ।

योजना हेतु निर्धारित पात्रता :

इस योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है :–

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है ।
2. लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम–से–कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण परन्तु उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता केवल विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए है ।
3. केवल नई परियोजनाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जायेगा । जिन्हें पहले इस तरह की किसी अन्य योजना के तहत लाभ न मिला हो ।
4. योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को बैंक या ऋण देने वाली संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए ।

उद्देश्य :

1. नये स्वरोजगार/उद्यम की स्थापना के शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना ।
2. बड़े पैमाने पर पारंपरिक दस्तकारों व युवक / युवतियों को शहरी या ग्रामीण एक साथ लाना व उनके लिए उसी स्थान पर स्वरोजगार की व्यवस्था करना ।
3. रोजगार से प्राप्त होने वाली आमदनी को बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार दर बढ़ाने में योगदान देना ।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 14 July 2020

पात्र संभावित उद्योग :

समूह – 1 कृषि आधारित उद्योग
समूह – 2 वन आधारित उद्योग
समूह – 3 कृषि आधारित उद्योग और खाद्य उद्योग
समूह – 4 बहुलक और रसायन आधारित उद्योग
समूह – 5 इंजीनियरिंग और गैर–परंपरागत ऊर्जा उद्योग
समूह – 6 वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)
समूह – 7 सेवा उद्योग

लाभार्थी का चयन :

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है ।

प्रशिक्षण :

लाभार्थी के लिए बैंक ऋण की पहली किश्त के आने से पहले 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

शोध विधि :

प्रत्येक अध्ययन में कुछ पद्धतियाँ व तरीके अपनाये जाते हैं, जिसके आधार पर सही परिणाम पर पहुँचा जाता है । सर्वेक्षण के लिए भी कुछ विशेष विधियाँ अपनायी जाती हैं । किसी भी कार्य को संपादित करने का उपयुक्त एवं संतोषदायक तरीका, आर्थिक प्रणाली एवं सामाजिक घटनाओं के संबंध में किए जाने वाले शोध कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं । आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण व विश्लेषण उद्देश्यों तक पहुँचने का तरीका है । मेरे द्वारा शोध अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों को संग्रहित कर उसका विश्लेषण किया गया है ।

तालिका – 1 :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित कुल लक्ष्य की संख्या :–

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य की पूर्ति से प्रतिशत
2013–14	2539.87	2539.87	100%
2014–15	3051.12	724.80	23.75%
2015–16	2438.82	1715.37	70.33%
2016–17	2991.55	2104.02	70.35%
2017–18	5690.98	1027.78	18.06%

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 14 July 2020

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में 2539.87 लाख रूपये वितरित करने का लक्ष्य रखा गया और 2539.87 लाख रूपये की पूर्ति की गई अर्थात लक्ष्य का पूर्ति से प्रतिशत 100% है । जो वर्ष 2013–14 में योजना की सफलतम स्थिति को दर्शाता है । वर्ष 2014–15 में 3051.12 लाख रूपये व वितरण 724.80 लाख रूपये था जो कि बहुत कम था अर्थात 2014–15 में लक्ष्य की पूति 23.75% ही हो पाई । वर्ष 2015–16 में लक्ष्य 2438.82 था तथा वितरण 1715.37 का हुआ अर्थात लक्ष्य की पूर्ति 70.33% हो पाई । वर्ष 2016–17 में लक्ष्य 2991.55 व वितरण 2104.02 का था । इस वर्ष लक्ष्य की पूर्ति 70.35% हो पाई । वर्ष 2017–18 में लक्ष्य 5690.98 तथा वितरण 1027.78 था । अर्थात लक्ष्य की पूर्ति 18.06% ही हो पाई । उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कही न कहीं कुछ कमी है । जिसके कारण वर्ष 2013–14 को छोड़कर अन्य किसी वर्ष में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई और योजना अपने औसत स्तर पर है ।

तालिका – 2 :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित कुल हितग्राहियों की संख्या :–

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	कुल हितग्राही	पुरूष	महिला
2013–14	1090	763	327
2014–15	905	633	272
2015–16	480	234	146
2016–17	513	359	154
2017–18	246	172	74

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक महिलाएँ उद्यमी वर्ष 2013–14 में 327 व सबसे कम वर्ष 2017–18 में 74 महिलाओं ने ही इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त किया । वर्ष 2014–15 में 272, 2015–16 में 146 एवं वर्ष 2016–17 में 154 महिलाओं द्वारा इस योजना का लाभ लिया गया । उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2013–14 के बाद के वर्षों में महिला उद्यमियों की संख्या में निरंतर कमी होती गई ।

निष्कर्ष : उपरोक्त तालिका 1 व 2 के विश्लेषण उपरान्त निष्कर्षतः भोपाल जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, व 2017–18 में लक्ष्य की पूर्ति क्रमशः 100%, 23.75%, 70.33%, 70.35%, व 18.06% रही । जिससे स्पष्ट है कि योजना अपने चरम पर नहीं पहुंच पाई और केवल औसत सफलता प्राप्त कर पाई व इस योजना का लाभ महिलाओं द्वारा कम लिया गया । वर्ष 2013–14 में महिलाओं की संख्या 327 थी परन्तु वर्ष 2017–18 तक यह संख्या घटकर केवल 74 रह गई जो कि अत्यन्त कम है । अतः इस योजना का लाभ महिलाओं द्वारा कम ही लिया गया ।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 14 July 2020

सुझाव : सरकार को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना व योजना में महिलाओं संबंधी कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए । जिससे महिलाएं योजना के माध्यम से अधिक लाभान्वित होकर देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर सके ।

संदर्भ सूची

1. वार्षिक प्रतिवेदन – मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल
2. www.india.gov.in
3. www.hindiyojna.in

Copyright @ 2020 Authors